अनमोल व्यक्तित्व के धनी थे राव चंद्रसेनजी : पूर्व नरेश गज सिंह

- शौर्य व संघर्ष से भरा था राव चंद्रसेनजी का जीवन : प्रो-मेहर
- मसूरिया पहाड़ी पर राव चन्द्रसेनजी की मूर्ति स्थापित होगी

जोधपुर, (का.सं.)। पूर्व महाराजा गज सिंह जी ने कहा कि मारवाड़ के यशस्वी, प्रजा प्रिय, स्वतन्त्रता के पोषक और जीवनपर्यन्त स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले राजपूताने के इतिहास के प्रथम शासक राव चन्द्रसेनजी अनमोल व्यक्तित्व के धनी थे।

पूर्व महाराजा गज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मंगलवार को राव चंद्रसेन शोध पीठ इतिहास विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र महरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में न्यू कैंपस के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित राव चंद्र सेन की 483 जयंती स्मृति व्याख्यान माला में समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मारवाड़ के इस सेनानायक को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उनका त्याग और बलिदान किसी से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि जोधपुर के शासक रहे राव चन्द्रसेन ने अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए जीवन भर अकबर के साथ संघर्ष किया, उनके साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि राव चन्द्रसेन की वीरता व स्वतत्रंता प्रेम को आज भी स्मरण करते हुए गौरव की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य धरोहर संरक्षण प्रोन्नित प्राधिकरण के द्वारा जल्द ही मसूरिया पहाड़ी पर राव चंद्रसेन जी की मूर्ति स्थापित होगी।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इतिहासविद् प्रो. जहूर खाँ मेहर ने कहा कि राव चन्द्रसेनजी का सम्पूर्ण जीवन शौर्य व संघर्ष से भरा हुआ था। मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग कर दिये और जीवनपर्यन्त युद्धरत रहे। वे महाराणा प्रताप से ज्यादा शूरवीर थे और उन्होंने उनसे ज्यादा युद्धों में भाग लिया। उन्होंने भी यह कहा कि इतिहासज्ञों और लेखकों की कलम से उनके व्यक्तित्व पर बहुत ही कम लिखा गया है जबकि राव चन्द्रसेनजी कहीं अधिक योग्य थे। उन्होंने महाराणा प्रताप और राव चन्द्रसेनजी का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया।

राव चंद्र सेन की 483 जयंती पर जोधपुर में व्याख्यान माला का आयोजन किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जय नारायण व्यास विष्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) के.एल. श्रीवास्तव ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि राव चन्द्रसेनजी के व्यक्तित्व और कृतिव का प्रचार-प्रसार करने के लिए विष्वविद्यालय के इतिहास विभाग में राव चन्द्रसेन शोधपीठ की स्थापना हुई है, जिससे उन पर अधिकाधिक शोध कार्य किये जाकर प्रकाष में लाये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही और भी इतिहास, साहित्य, कला व संस्कृति से जुडे मारवाड़ के महानुभावों के नाम से शोध पीठों की स्थापना विष्वविद्यालय द्वारा की जायेगी जिससे शोध के अवसर बढ़ेंगे।

कार्यक्रम के विषिष्ट अतिथि व कल सके के डीन प्रो. मंगलाराम विश्नोई ने कहा कि राव चन्द्रसेनजी छापामार रणनीति के जनक थे। इसके बाद इस नीति को महाराणा प्रताप ने भी अपनाया और मुगलों से आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने कई वर्षों तक मुगलों को सोने का अवसर नहीं दिया। वे महाराणा प्रताप व वीर शिवाजी के समकक्ष वीर व चतुर योद्धा थे। इसके साथ ही उन्होंने राव चन्द्रसेनजी के इतिहास पर विस्तृत प्रकाष डाला।

महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाष शोध केन्द्र के सहायक निदेषक डॉ. महेन्द्रसिंह तंवर ने बताया कि कार्यक्रम के पूर्व में महाराजा गजसिंहजी का कला संकाय के सभी विभागाध्यक्षों द्वारा स्वागत किया गया। तत्पष्चात् महाराजा गजसिंहजी द्वारा इतिहास विभाग में स्थापित राव चन्द्रसेन शोधपीठ का अवलोकन किया गया। इसके बाद राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. गजेसिंह राजपुरोहित और विद्यार्थियों द्वारा राजस्थानी विभाग में भावपूर्ण स्वागत व सत्कार किया गया। राजस्थानी विभाग का अवलोकन भी गजसिंह द्वारा किया गया।

स्वर्ण जयन्ती सभागार में आयोजित कार्यक्रम के प्रारम्भ में अतिथियों द्वारा राव चन्द्रसेनजी एवं माँ सरस्वती की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पष्चात् आयोजकों द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया।

राव चन्द्रसेन शोधपीठ-इतिहास विभाग की निदेषक प्रो. (डॉ.) सुषीला शक्तावत ने अपने स्वागत उद्बोधन में सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि इतिहास, साहित्य, संस्कृति के अवदान में मारवाड़ के शासकों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने राव चन्द्रसेन शोधपीठ के द्वारा करवाये जा रहे कार्यों पर प्रकाष डाला और कहा कि शोधपीठ के माध्यम से क्षेत्रीय पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जायेगा। शोधपीठ द्वारा दो नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं और शोध पीठ द्वारा निरन्तर व्याख्यानमाला, संगोष्ठियों और पत्रिकाओं का प्रकाषन किया जायेगा।

राव चन्द्रसेन पर आयोजित प्रष्नोतरी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय आए प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिह्न गजसिंह ने प्रदान किये। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाष शोध केन्द्र के सहायक निदेषक डॉ. महेन्द्रसिंह तंवर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यक्रम में प्रो. एफ.के. कपिल, डॉ. एस.पी. व्यास, पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत , कर्नल मनोहरसिंह कोरणा, करणवीरसिंह भाद्राजून, शंकरसिंह शेखावत, प्रो. रामसिंह हाडा, प्रो. मदन मोहन, प्रो. कमलसिंह राठौड़, प्रो. अवतारीलाल मीणा, प्रो. ज्ञानसिंह शेखावत, , प्रो. के.एल. माथुर, प्रो. अरविन्द परिहार, प्रो. एस.एस. बैस, , डॉ. गजेसिंह राजपुरोहित, डॉ. विनिता परिहार, डॉ. दिनेष राठी, डॉ. भरत देवड़ा, भगवानसिंह राजपुरोहित, डॉ. रष्मि मीणा, डॉ. प्रतिभा सांखला, डॉ. महेन्द्र पुरोहित, डॉ. भवानीसिंह राजपुरोहित, प्रो. रीतु जौहरी, प्रो. कान्ता कटारिया, डॉ. यादराम मीणा, डॉ. हेमलता जोषी, राजेन्द्र सिंह लीलिया, दुर्गादास गंठिया , शिवमंगल सिंह ,डॉ. शक्तिसिंह खाखड़की, डॉ. दिलीप कुमार नाथाणी, महेन्द्र चांपावत, घनष्याम सिंह के साथ ही विष्वविद्यालय के सहायक आचार्य, शोधार्थी,विद्यार्थी व हनवन्त हॉस्टल के विद्यार्थी उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. ललित कुमार पंवार ने किया।

मनुष्य को रोगी की सेवा करनी चाहिए : घनश्याम ओझा

हर माह आयोजित होने वाले नि:शुल्क मिर्गी शिविर की कड़ी में 312 वां शिविर श्रीधर शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में लायंस क्लब जोधपुर में आयोजित किया।

जोधपुर, (का.सं.)। हर माह आयोजित होने वाले नि:शुल्क मिर्गी शिविर की कड़ी में 312 वां शिविर श्रीधर शिक्षण संस्थान के तत्वाधान में लायंस क्लब में आयोजित किया गया।

संस्थान की सचिव डा पद्मजा शर्मा ने बताया कि शिविर का उद्घाटन पूर्व महापौर और वर्तमान में लघु उद्योग के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा और प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ राजेंद्र वैष्णव ने किया।

मरीजों को उद्बोधित करते हुए घनश्याम ओझा ने कहा कि यहां आए सभी मरीजों को ये समझना चाहिए कि किसी रोगी की सेवा से कितना सुकून मिलता है।

वर्तमान में आजकल घर में एक व्यक्ति के बीमार होने पर लंबे समय तक मरीज की देखभाल करना असंभव हो जाता है और परिवार में एक अलग माहौल बन जाता है जबकि डा नगेंद्र शर्मा निस्वार्थ भाव से लगातार 26 वर्षों से इन मरीजों की सेवा करने में लगे हैं जो नर सेवा का एक अनुकरणीय उदाहरण है। जिससे हर मरीज को ये संकल्प लेना चाहिए कि स्वस्थ होने के बाद वो भी किसी पीड़ित व्यक्ति की सेवा करेमैं डा नगेंद्र शर्मा और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं।

अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र वैष्णव ने कहा कि हम सभी चिकित्सकों को इन कैंपों से ये सीखना चाहिए कि यदि एक चिकित्सक एक बीमारी को लेकर समाज में उसके प्रति जागरूकता फैलाए तो हर मरीज को सभी अंधविश्वास वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता लाई जा सकती है और ये हमारे चिकित्सक समुदाय का कर्तव्य भी है।

डॉ. नगेंद्र शर्मा ने बताया कि आज शिविर में 328मरीजों की जांच कर दवा का वितरण किया गया । 12 वर्षीय लालाराम आज पांच साल से लगातार इलाज के बाद पूर्णतया ठीक होने पर परिवार जन में खुशी की लहर छा गई।

शिविर संयोजक किशन प्रजापत और महावीर शर्मा के अलावा कमलेश व्यास, शंकरलाल गोयल ,नेमिचंद शर्मा,हरीश शर्मा ,पुखराज, अक्षय त्रिवेदी और छायाकार दिनेशपुरी ने अपनी सेवाएं दी।

कार्यालय ग्राम पंचायत सामतीपुरा पंचायत समिति जालोर जिला जालोर

क्रमांक: ग्राप/2024-25/13 दिनांक: 29/07/2024

निविदा सूचना

ग्राम पंचायत सामतीपुरा व्दारा निम्नलिखित कार्यो हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमो के तहत पंचायती राज विभाग , सार्वजनिक निर्माण विभाग ,जल संसाधन विभाग ,जन स्वास्थ्य अभियात्रिक विभाग , नगर निगम राज्य सरकार के अधिकृत संगठनो मे पंजीकृत सश्रम श्रेणी के संवेदको से निर्धारित प्रपत्र मे प्राप्त की जावेगी । निविदा के सम्बन्धित विवरण बेब साईट http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है

NIB No.- ZJR2425A0215

UBN No.- ZJR2425WSOB00270 to ZJR2425WSOB00272

सरपंच, ग्राम पंचायत सामतीपुरा — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सामतीपुरा

तीन करोड़ की हेराफेरी मामले के पांच आरोपी पकड़े

पाली, (नि.सं.)। पाली शहर की एक फैक्ट्री के अकाउंटेंट ने फर्जी एंट्री कर करीब तीन करोड़ रुपए अपने परिचितों के अकाउंट में ट्रांसफर कर गबन किया। मामला पकड़ में आने पर फैक्ट्री संचालक ने आरोपी अकाउंटेंट के खिलाफ औद्योगिक नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनसे रिमांड के दौरान गबन किए गए रुपए बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। सीओ पाली ठामीण रतनाराम देवासी ने बताया कि मामले में पाली के पुराना हाउसिंग बोर्ड निवासी 27 साल के अकाउंटेट आतुर लाहोटी पुत्र जगदीश नारायण, पुराना हाउसिंग बोर्ड निवासी 30 साल के चिराग पुत्र मदनलाल, पुराना हाउसिंग बोर्ड हाल अहमदाबाद निवासी 28 साल के मोहित पुत्र मदनलाल, पुराना हाउसिंग बोर्ड निवासी 25 साल के विकास पुत्र पवन कुमार और 27 साल के विशाल पुत्र पवन कुमार को गिरफ्तार किया। अकाउंटेट आतुर लाहोटी ने अपने परिचितों के खातों में फैक्ट्री के लाखों रुपए ट्रांसफर कर उसका निजी उपयोग कर गबन किया।

औद्योगिक थाना की एसएचओ पाना चौधरी के मुताबिक शहर के वीडी नगर निवासी तन्मय गोगड़ पुत्र भरत कुमार गोगड़ ने रिपोर्ट दी। जिसमें बताया था कि पाली के इंडस्ट्रीयल एरिया फेज टू में स्थित श्री गणेश प्रिंट फेब प्राइवेट लिमिटेड और बीबी शाह प्राइवेट लिमिटेड के वे डायरेक्टर है। उनकी कम्पनी में ठो कपड़ा खरीद कर उसे प्रोसेस कर लेडीज ड्रेस बनाने का काम करती है।

दोनों फैक्ट्री की देनदारी, व्यापारियों के सस्पेंस खाते, छूट बटाव खातों तथा सेल्स इंसेंटिव से संबंधी सभी काम पुराना हाउसिंग बोर्ड निवासी आतुर लाहोटी पुत्र जगदीश नारायण लाहोटी देखता है। जो पिछले करीब चार साल से उनके यहां काम कर रहा हैं। रिपोर्ट में बताया कि गत 16 जून 2024 को कम्पनी के खातों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान सामने आया कि बकाया राशि का तकाजा देते हुए महाराष्ट के लातुर स्थित रॉयल गारमेंट के खाते में 4 लाख 60 हजार 780 रुपए डेबिट किए गए है। जो उन्हें संदिग्ध लगी क्योंकि रॉयल गारमेंट नाम की किसी भी फर्म से उनका व्यापार के सिलसिले में किसी तरह का कोई लेनादेना नहीं था। इसको लेकर जब आतुर लाहोटी से पूछा तो वह बिजी होने की बात करने लगा। रिपोर्ट में बताया कि हेराफेरी और कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर आतुर लाहोटी ने बीबी शाह प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से विजय कुमार ावलानी, मोहित कुमार जैन, जगजीवनराम, विशाल पारीक, चिराग जैन, डियान प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लि., द रॉयल स्टे लग्जरीयस होस्टल एवं पीजी, डील बाजार, रॉयल मेरोडियन लिविंग को गत 3 सालों में 1 करोड़ 21 लाख 13 हजार 467 रुपए का फर्जी भूगतान कर दिया। इसी तरह श्री गणेश प्रिंट फेब प्राइवेट लि. फर्म से 1 करोड़ 51 लाख 26 हजार 40 रुपए का फर्जी भूगतान किया। रिपोर्ट में बताया कि दोनों फर्मों से आरोपी ने करीब 2 करोड़ 72 लाख 39 हजार 507 रुपए का फर्जी खातों से ुगतान किया। जिनसे उनका कोई व्यापारी लेनादेना नहीं था।

इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और गबन के मुख्य आरोपी अकाउंटेट आतुर लाहोटी और जिनके अकाउंट में रुपए ट्रांसफर किए, उन्हें भी गिरफ्तार किया।

गजसिंह ने मायड़ का महत्व बताया

जोधपुर, (कासं) । राजस्थानी भासा-साहित्य के प्रबल पैरोकार एवं संस्कृति संरक्षक पूर्व नरेश गजसिंह ने जेएनवीयू में राजस्थानी विभाग के अवलोकन के दरम्यान उल्लेखनीय शैक्षिणक एवं साहित्यिक कार्यो से अभिभूत होकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थानी भासा अर साहित्य रै खेतर में पढेसरां रौ भविस ऊजळौ है।

ज्ञातव्य है कि मंगलवार को पूर्व नरेश गजसिंह के जेएनवीयू कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव के साथ न्यू केम्पस स्थित राजस्थानी विभाग में पहुंचने पर राजस्थानी विभागाध्यक्ष डॉ. गजेसिंह राजपुरोहित ने परम्परानुसार राजस्थानी साफा पहनाकर उनका स्वागत किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवसर पर विभागीय सदस्यों, शोधार्थियों एवं विधार्थियों ने उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। राजस्थानी विभागाध्यक्ष डॉ. राजपुरोहित ने राजस्थानी विभाग द्वारा किये जा रहे शैक्षिणक एवं साहित्यिक कार्यो की महत्वपूर्ण जानकारी दी।

उन्होंने जानकी देते हुए बताया कि वर्तमान कुलपति प्रोफेसर के.एल.श्रीवास्तव इस दिशा में सकारात्मक सहयोग देते रहे है जिससे यह विभाग निसंकोच होकर सतत सकारात्मक कार्य कर रहा है।

फर्जी पट्टा बनाने के मामले में एक गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। नगर निगम दक्षिण से पट्टा चोरी करने के बाद हूबहू प्रिंट निकलवाकर फर्जी पट्टा बनाने के मामले में भगत की कोठी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार नगर निगम उपायुक्त के निजी सहायक ने 8 जून को रातानाडा के ऑफिसर मैस के सामने शेर विलास कॉलोनी निवासी सुल्तान सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी से फर्जी पट्टा बनाने का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की।

जांच में आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए। उसके बाद पुलिस ने सोमवार को आरोपी सुल्तान सिंह पुत्र स्वरूप सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में फर्जीवाड़े में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

मामले की जांच कर रहे हैं एएसआई प्रहलाद राम मीणा ने बताया कि 8 जून 2024 को नगर निगम जोधपुर उत्तर की ओर से भगत की कोठी में एक फर्जी पट्टे का मामला दर्ज करवाया गया था। जिसकी जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

मामले में कार्यालय कर्मचारी अंजू विश्नोई, सुधीर, मनीषा के बयान लिए गए। जिसमें पाया गया कि उस समय कार्यालय से जारी फर्जी पट्टे में महापौर कुंती देवड़ा व तत्कालीन उपयुक्त रोहित चौहान थे।

इस मामले में तत्कालीन महापौर कुंती परिहार, तत्कालीन उपायुक्त रोहित चौहान के बयान भीलवाड़ा जाकर लिए गए। आरोपी के खिलाफ आरोप पाए जाने पर आरोपी के नंबरों की लोकेशन लेकर उसे घर से दस्तयाब किया गया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में 6 मामले दर्ज है, जिनमें से 2 में चार्जशीट पेश हो चुकी है, जबकि 2 मामलों में एफआर लग चुकी है, वहीं दो मामले लंबित हैं।

गौरतलब है कि सुल्तान सिंह ने महेश छात्रावास के पीछे जगदंबा कॉलोनी में एक भूखंड का फर्जी पट्टा बनवा लिया था। इसकी जानकारी नगर निगम को लगने पर निगम की ओर से पट्टा निरस्त करवाया गया था। आरोप है कि निगम से पट्टा चोरी करने के बाद हूबहू प्रिंट निकलवा लिया गया था। उस पर ओरिजिनल डिस्पैच नंबर भी अंकित कर दिए गए थे।

कार्यालय ग्राम पंचायत आलपुरा पंचायत समिति गुडामालानी (बाडमेर)

क्रमांक: ग्राप/निविदा/2024/47 दिनांक: 25.07.2024

निविदा सूचना संख्या- 02,03/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से ग्राम पंचायत आलपुरा के कार्य चार दिवारी निर्माण कार्य शमशान घाट ग्राम पंचायत आलपुरा एवं खेल मैदान की चार दिवारी निमार्ण कार्य ग्रा.प.आलपुरा हेतु मय दो वर्ष का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरीयड) हेतु सा. नि.वि. मे उपयुक्त श्रेणी (न्यूनतम डी श्रेणी) में पजीकृत एवं संवेदक जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग डाक एवमं दूर संचार रेल्वे या अन्य राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनो जो कि राजस्थान सरकार के डी एव उच्च श्रेणी (" सी" बी" ए" एव" एए) के संवेदको के समकक्ष हो से निर्धारित परिपत्र मे आनलाईन निविदाए आमत्रित की जाती है । निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in, and www.eprocrajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBN No. - PKW2425WSOB00040

UBN No. - PKW2425WSOB00041

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आलपुरा, पं. स. गुडामालानी — सरपंच, ग्राम पंचायत आलपुरा, पं. स. गुडामालानी

कार्यालय ग्राम पंचायत सामतीपुरा पंचायत समिति, जालोर

क्रमांक: ग्राप/निविदा/2024-25/16 दिनांक: 29/07/2024

ई-निविदा सूचना संख्या- 01/2024-25

पंचायत समिति जालोर के अधीनस्थ ग्राम पंचायत सामतीपुरा के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के दौरान महात्मा गॉधी नरेगा योजना एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं में कराये जाने वाले कार्यो के लिए निर्माण साम्रगी एवं उपकरण की आपूर्ति हेतु राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013(आदिनांक संशोधित) के अनुसार राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के तहत वस्तु एवं सेवाकर (GST) अधिनियम 2017 के अर्न्तगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजिकृत अनुभवी एवं इच्छुक विनिर्माता(ओं)/ विक्रेता(ओं)/फर्मो/ संवेदकों/ आपूर्तिकर्ता(ओं) से, जो किसी भी राजकीय संस्थान/उपक्रमों से बोली लगाने से विवर्जित/ब्लैक लिस्टेड नही हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। ई- निविदा संबंधी समस्त विस्तृत विवरण कार्यालय नोटिस बोर्ड तथा www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जाकर डाउनलोड कर www.eproc.rajasthan.gov.in पर ई-निविदा आनलाईन अपलोड की जा सकती है।

UBN No.- ZJR2425GLOB00275

NIB No.- ZJR2425A0218

सरपंच, ग्राम पंचायत सामतीपुरा, पंचायत समिति जालोर — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सामतीपुरा, पंचायत समिति जालोर

अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई जारी

जोधपुर, (का.सं.)। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने आयुक्त उत्साह चौधरी के निर्देशानुसार जोनवार अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों पर निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने 19 जून से 19 जुलाई तक सघन अभियान के तहत कार्य दिवस एवं राजकीय अवकाश के दिनों में कुल 59 कार्यवाहियां के दौरान जेडीए क्षेत्राधिकार में भू-माफियाओं एवं अतिक्रमियों सहित अवैध निर्माणों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की।

जेडीए सचिव डॉ. हरीतिमा एवं मुख्य नियंत्रक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जेडीए विनीता के निर्देशानुसार जेडीए दस्ते द्वारा सुन्दर सिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना का मौका निरीक्षण किया गया। दस्ते ने मौका निरीक्षण के दौरान सडक भाग, पार्क की भूमि एवं आरक्षित भूमि पर विभिन्न अनाधिकृत अतिक्रमण किए हुए मिले। दस्तेने कार्यवाही कर अतिक्रमियों को सख्त हिदायत दी गयी कि प्राधिकरण की योजना में सडक भाग, पार्क की भूमि एवं आरक्षित भूमि पर किए गए अनाधिकृत अतिक्रमणों को स्वयं अपने स्तर पर हटा लेवें, अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाएगा। कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन अधिकारी प्रवीण गहलोत, प्रवर्तन निरीक्षक अनिल शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता मो. आफाक मय जेडीए दस्ता मौजूद रहा।

मुख्य नियंत्रक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जेडीए विनीता के नेतृत्व में प्राधिकरण की जोनवार गठित अतिक्रमण निरोधक टीमों ने तहसीलदारान् के निर्देशन में संयुक्त रूप से जेडीए क्षेत्राधिकार में दैनिक गश्त कर राजकीय एवं प्राधिकरण की भूमियों पर हो रहे अनाधिकृत अतिक्रमणों एवं अवैध निर्माणों, उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना एवं प्राधिकरण सचिव डॉ. हरीतिमा के आदेशानुसार समस्त जोन में मुख्य सडक एवं फुटपाथ मार्गाधिकार के अतिक्रमणों, अवैध कॉलोनियों, पार्किंग के इतर निर्मित बहुमंजिला इमारतों, भवनों, दुकानों, आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक गतिविधियोंके लिए पाबंद करने सहित अन्य अतिक्रमणों को सघन अभियान चलाते हुए ध्वस्त किया।

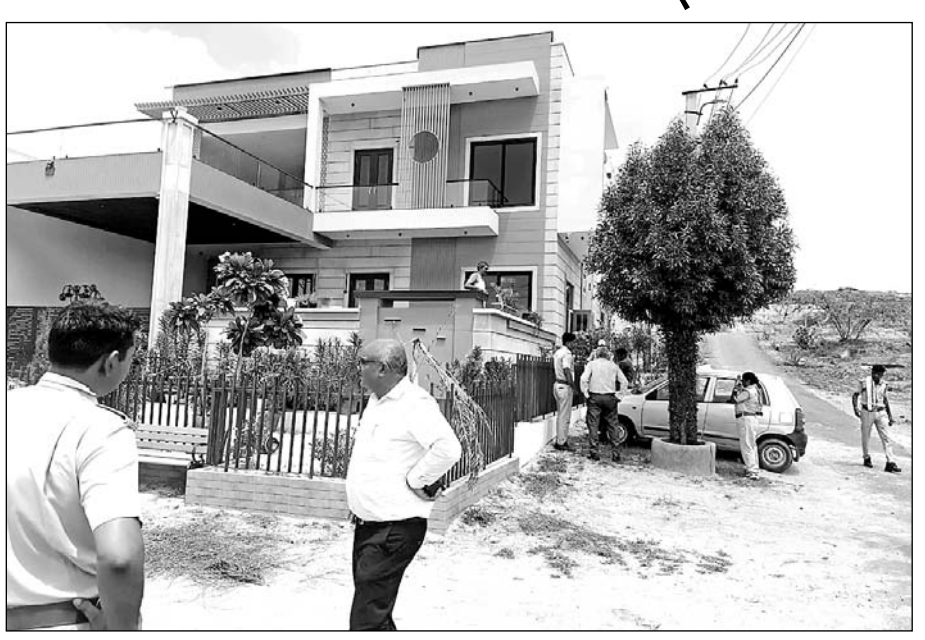
जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने आयुक्त उत्साह चौधरी के निर्देशानुसार जोनवार अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों पर कार्रवाई की।

मुख्य नियंत्रक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जेडीए विनीता ने बताया कि प्राधिकरण अतिक्रमण दस्ते ने 19 जून से 19 जुलाईतक 22 दिवस में अलग-अलग 59 कार्यवाहियां करते हुए निरन्तर एवं नियमित रूप से अवैध निर्माणों को बंद करवा पाबंद करने सहित अन्य अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। साथ ही जेडीसी उत्साह चौधरी के निर्देशन में जेडीए दस्तेने अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों के विरूद्ध कार्यवाही निरन्तर जारी हैं।

विनीता के कुशल नेतृत्व में प्राधिकरण की अतिक्रमण निरोधक टीमों की जोनवार उक्त विभिन्न कार्यवाहियों के लिए जेडीए उच्च अधिकारियों ने सराहना करते हुए प्रशंसा की। कार्यवाहियों के दौरान पुलिस निरीक्षक जोगेन्द्रसिंह चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक अनिल शर्मा मय जेडीए दस्ता मौजूद रहा।

शराब तस्करी के मामले में ईनामी आरोपी गिरफ्तार

जालोर, (का.सं.)। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने सांचौर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी के मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहे आरोपी जगदीश बिश्नोई पुत्र सुजाना राम (38) निवासी हालीवाव थाना चितलवाना (जिला सांचौर) को पकड़ने में सफलता हासिल की है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा एवं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एम.एन. जयपुर के निर्देशानुसार एजीटीएफ पुलिस मुख्यालय की टीम द्वारा लगातार ईनामी अपराधियो व अवैध मादक पदार्थ तस्करो के विरूद्ध लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी कम मे टीम द्वारा सांचौर पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये सांचौर थाना ईलाके से 10 हजार का ईनामी आरोपी गिरफ्तार किया है। उपमहानिरीक्षक पुलिस योगेश यादव ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्याप्रकाश के सुपरविजन व पुलिस निरीक्षक सुभाष सिंह के नेतृत्व में हैड कांस्टेबल महेश कुमार, नरेन्द्र सिंह, रविन्द्र सिह, महावीर सिंह, कांस्टेबल नरेश कुमार, सुरेश कुमार को आसुचना संकलन व तलाश ईनामी अपराधी हेतु उदयपुररेंज, जोधपुररेंज, पालीरेंज रवाना किया गया था। मंगलवार को टीम के सदस्य हैड कांस्टेबल रविन्द्र सिंह व महावीर सिंह को सूचना मिली कि शराब तस्करी के मामले में सांचौर जिले से 10 हजार इनामी जगदीश विश्नोई जोधपुर से बस द्वारा सांचौर आ रहा है। सूचना को टीम द्वारा विकसित किया जाकर सांचौर जिले के चितलवाना थाना की सिवाडा पुलिस चौकी की मदद से बस को रूकवाया जाकर ईनामी आरोपी को दस्ताब किया जाकर गिरफ्तार करवाया गया। आरोपी राज. आबकारी अधि. पुलिस थाना सांचौर में हरियाणा से गुजरात अवैध शराब तस्करी में फरार चल रहा था। जिस पर पुलिस अधीक्षक सांचौर की ओर से 10 हजार का ईनाम घोषित किया हुआ है। सम्पूर्ण कार्यवाही में हैड कांस्टेबल रविन्द्र सिह, महावीर सिंह, महेश कुमार की महत्वपूर्ण / विशेष व हैड कांस्टेबल नरेन्द्र सिंह, कमल सिंह, राकेश जाखड की तकनिकी भूमिका रही है।

पटवा हवेली चौक में गड्ढे से परेशानी

जैसलमेर, (नि.सं.)। स्वर्णनगरी के पर्यटन स्थल पटवा हवेली के चौक में भारी गढ्ढा पिछले एक माह से आये दिन राहगीरों को चोटिल कर रहा है। प्रत्येक सप्ताह कलेक्टर द्वारा समस्या समाधान के लिए अधिकारियों की बैठक ली जाती है, जिसमें आयुक्त नगरपरिषद भी उपस्थित होते है। 18 जुलाई को आमजन की जनसुनवाई के दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत वर्चुअल रूप से जुड़े ओर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाएं।

कार्यालय ग्राम पंचायत रेवत पंचायत समिति, जालोर

क्रमांक: ग्राप/निविदा/2024-25/43 दिनांक: 29/07/2024

ई-निविदा सूचना संख्या- 01/2024-25

पंचायत समिति जालोर के अधीनस्थ ग्राम पंचायत रेवत के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के दौरान महात्मा गॉधी नरेगा योजना एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं में कराये जाने वाले कार्यो के लिए निर्माण साम्रगी एवं उपकरण की आपूर्ति हेतु राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013(आदिनांक संशोधित) के अनुसार राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के तहत वस्तु एवं सेवाकर (GST) अधिनियम 2017 के अर्न्तगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजिकृत अनुभवी एवं इच्छुक विनिर्माता(ओं)/ विक्रेता(ओं)/फर्मो/ संवेदकों/ आपूर्तिकर्ता(ओं) से, जो किसी भी राजकीय संस्थान/उपक्रमों से बोली लगाने से विवर्जित/ब्लैक लिस्टेड नही हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। ई- निविदा संबंधी समस्त विस्तृत विवरण कार्यालय नोटिस बोर्ड तथा www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जाकर डाउनलोड कर www.eproc.rajasthan.gov.in पर ई-निविदा आनलाईन अपलोड की जा सकती है।

UBN No.- ZJR2425GLOB00274

NIB No.- ZJR2425A0217

सरपंच, ग्राम पंचायत रेवत, पंचायत समिति जालोर — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रेवत, पंचायत समिति जालोर

कार्यालय ग्राम पंचायत मडगांव पंचायत समिति, जालोर

क्रमांक: ग्राप/निविदा/2024-25/42 दिनांक: 29/07/2024

ई-निविदा सूचना संख्या- 01/2024-25

पंचायत समिति जालोर के अधीनस्थ ग्राम पंचायत मडगांव के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के दौरान महात्मा गॉधी नरेगा योजना एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं में कराये जाने वाले कार्यो के लिए निर्माण साम्रगी एवं उपकरण की आपूर्ति हेतु राजस्थान लोक उपापन पारदर्श